

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- 1.अपील संख्या 2250 / 2016 / जयपुर
- 2.अपील संख्या 2251 / 2016 / जयपुर
- 3.अपील संख्या 2252 / 2016 / जयपुर
- 4.अपील संख्या 2253 / 2016 / जयपुर

मैसर्स जैना मोबाईल इण्डिया प्रा.लि.
जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत-द्वितीय,
जयपुर

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक

..... प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 27.06.2017

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा उपर्युक्त चारों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय प्राधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 251 से 254/अ.प्रा.-1/एल/जयपुर/2015-16 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 08.08.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा आलोच्य अवधि वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 26, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.07.2015 को पारित करते हुए निम्न तालिका के अनुसार कर, ब्याज एवं शास्तियों आरोपित की है, में से कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है :-

अ.सं.	क.नि.वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	कुल योग
2250 / 16	2009-10	342105 / -	394475 / -	684210 / -	1265790 / -
2251 / 16	2010-11	858151 / -	497729 / -	1716302 / -	3072182 / -
2252 / 16	2011-12	1425320 / -	655647 / -	2850640 / -	4931607 / -
2254 / 16	2012-13	240084 / -	81628 / -	480168 / -	801880 / -

चूँकि चारों अपीलों में निर्णय हेतु समान बिन्दु निहित है, इसलिए इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियाँ चारों पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जा रही हैं।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 29.1.2.2014 को किया गया, जिस पर ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी फर्म द्वारा आलोच्य अवधियों में मोबाइल/सेलफोन एवं एसेसरीज आदि का क्रय विक्रय किया जाकर उस पर 4/5 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है। जबकि सशक्त अधिकारी ने उक्त बिक्रीत वस्तु पर अधिनियम की अनुसूची पंचम के अन्तर्गत 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानकर 9/10 प्रतिशत की दर से अन्तर कर आरोपित किया तथा आरोपित कर अदत्त रहने के कारण ब्याज आरोपित किया। अपीलार्थी द्वारा करापंचन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्तियों का आरोपण उपर्युक्त तालिका के अनुसार किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त प्रकार से आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित कर, ब्याज को यथावत रखते हुए आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यथावत रखे गये कर एवं ब्याज को इन अपीलों में विवादित किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा चार्जर को मोबाइल का पार्ट नहीं मानते हुए इसे अवशिष्ट अनुसूची-V के अन्तर्गत आच्छादित होना माना है जबकि उक्त वस्तु अधिनियम की अनुसूची- IV के पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या 12 एवं 28 के अन्तर्गत आच्छादित होती है क्योंकि प्रविष्टि 12 में "Cellular Telephones" अंकित है एवं प्रविष्टि संख्या 28 में Parts of 1 to 27 above अंकित है अर्थात् वैट अधिनियम की अनुसूची-IV के पार्ट ए की प्रविष्टि संख्या 12 में अंकित "Cellular Telephones" का पार्टस होने से प्रविष्टि संख्या 28 में आच्छादित होती है, जिस पर आलोच्य अवधियों में कर देयता 4/5 प्रतिशत है न कि 14 प्रतिशत साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि चार्जर मोबाइल यंत्र का आवश्यक पार्ट है, जिसके बिना मोबाइल यंत्र कार्य नहीं कर सकता है। विशिष्ट मोबाइल बैटरी, एडाप्टर व चार्जर केवल मात्र विशिष्ट मोबाइल यंत्र में प्रयोग होती है एवं इसका अन्य कोई प्रयोग नहीं होता है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा मैसर्स नोकिया इण्डिया प्रा.लि., भिवाडी, अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापंचन, राजस्थान प्रथम, जयपुर अपील संख्या 469 से 472/2014/अलवर में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2017 एवं इसी खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या, 1998 से 2002/2013/जयपुर मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक

प्रा.लि., जयपुर बनाम वणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-प्रथम, जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2017 को उद्धृत करते हुए प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस के दौरान उद्धृत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि मोबाइल चार्जर फोन एसेसरीज पर कर देयता किस दर से निर्धारित होगी। Adapter/Charger पर कर देयता के बिन्दु का प्रश्न है। उक्त बिन्दु पर कर बोर्ड की खण्डपीठ ने अपील नं. 785 / 2016 / जयपुर में दिनांक 10.05.2016 को निम्न निष्कर्ष दिया गया है, जो निम्न प्रकार है :-

As the Hon'ble Supreme Court in the case of *State of Punjab vs. M/s Nokia India Pvt Ltd* (supra) enunciated doctrine

It was contended that composite goods being used consisting of different materials and different components and goods put up in sets for retail sale, cannot be classified by reference to clause (a). However, such submission cannot be accepted as it cannot be held that charger is an integral part of the mobile phone making it a composite good. Merely, making a composite package of cell phone charger will not make it composite good for the purpose of interpretation of the provisions. The word accessory as defined in the Webster's comprehensive Dictionary (International) Volume-I is defined as:

“a person or thing that aids subordinately; an adjunct; appurtenance; accompaniment (2) such items of apparel as complete an outfit, as gloves, a scarf, hat or handbag. (3) A person who, even if not present, is concerned, either before or after, in the perpetration of a felony below the crime of treason. Adj.(1) Aiding the principal design, or assisting subordinately the Chief Agent, as in the commission of a crime. (2) Contributory Supplemental; additional; accessory”.

8. In *M/s Annapurna Carbon Industries Co. vs. State of Andhra Pradesh*, (1976)2 SCC 273, this court while examining the question whether “Arc Carbon” is an accessory to Cinema projectors or whether comes

✓

under other cinematography equipments under entry 4 of schedule I to the A.P. General Sales Tax, Act, 1957, defined accessories as:

“an object or device that is not essential in itself but that adds to the beauty, convenience or effectiveness of something else.”

We further hold that the battery charger cannot be held to be a composite part of the cell phone but is an independent product which can be sold separately, without selling the cell phone.


इसी बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम मैसर्स नोकिया इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (41 टैक्स अप डेट 47) में निम्न प्रकार मत प्रतिपादित किया गया है :-


In view of the aforesaid facts, we find that the Assessing Authority, Appellate Authority and the Tribunal rightly held that the mobile/cell phone charger is an accessory to cell phone and is not a part of the cell phone. We further hold that the battery charger cannot be held to be a composite part of the cell phone but is an independent product which can be sold separately, without selling the cell phone. The High Court failed to appreciate the aforesaid fact and wrongly held that the battery charger is a part of the cell phone.

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि चार्जर सेलफोन का पार्ट नहीं है इसलिए वह अधिनियम की अनुसूची-IV के अन्तर्गत नहीं आता है बल्कि वह अधिनियम की अनुसूची-V के अन्तर्गत वह सामान्य कर दर अर्थात् 14 व 15 प्रतिशत की दर से कर योग्य है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा चार्जर को अनुसूची पंचम के तहत मानकर पारित कर निर्धारण आदेशों में 9 व 10 प्रतिशत की दर से अन्तर कर का आरोपण किया जाना उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित मत के अनुसार उचित है। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि अपीलाधीन आदेश से की गई, जिसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप किये जाने का औचित्य नजर नहीं आता है। अतः चार्जर के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर इस बिन्दु पर प्रस्तुत की गई अपीलें अस्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उद्धृत किये गये कर बोर्ड की विभिन्न पीठों द्वारा पारित निर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया आच्छादित होने से कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल मालवीय)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष